

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, डण्डाली
प्रकरण सं.:-27/2018


दिनांक:- 21.5.18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1130

आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी डण्डाली व भू.अ.नि. भूका वगतसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम डण्डाली तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 में खाता संख्या 47 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	डण्डाली	47	146	गुलाराम पुत्र मंगलाराम	गुलाराम उर्फ मुलाराम पुत्र मंगलाराम <u>शेष बद्दुस्तर</u>



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 21.5.18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1131-1133



लिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री गुलाराम उर्फ मुलाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी